प्रकरण संख्या–58 / 2018 2018 / 00084 तारीख रजु–19.07.2018

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये अमित कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डोन, तहसील हिण्डौन, जिला करौली–प्रार्थी

बनाम

श्री महेन्द्र चतुर्वेदी पुत्र श्री रामजीलाल, मण्डी चौराहा, हिण्डौन सिटी, जिला–करौली– अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बाबत् सीज्ड घरेलू गैस सिलेण्डर एक मय 0.5 किलो गैस को राजसात् करने।

निर्णय

दिनांक–27.03.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन श्री अमित कुमार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि श्रीमान् शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के पत्रांक एफ17(2) खा.वि./न्याय/2000 जयपुर दिनांक 26.03.2018 द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के अवैध भंडारण एवं अन्तरण पर निर्बन्धन के प्रावधानों की पालना, अवमानना पर सतर्कता कार्यवाही एवं सुरक्षा मानकों के प्रचार प्रसार हेतु सुरक्षा पखवाडा दिनांक 1 अप्रैल 2018 से 15 अप्रैल 2018 मनाने एवं इसी क्रम में 1 अप्रैल 2018 से 15 अप्रैल 2018 की अवधि में सघन अभियान सुरक्षा पखवाडा चलाकर जिले में संचालित अवैध गतिविधियों के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कड़ी कार्यवाही करने हेतु गठित जाँच दल द्वारा दिनांक 11.04.2018 तहसील हिण्डौन में नगरपरिषद हिण्डौन में श्री महेन्द्र चतुर्वेदी पुत्र श्री रामजीलाल, मण्डी चौराहा, हिण्डौन सिटी, जिला–करौली की चतुर्वेदी मिष्ठान भण्डार की दुकान से 1 घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करते हुए पाये जाने पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को जप्त किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	तेल कंपनी का नाम	गैस सिलेण्डर का एस.आर.नम्बर	टेयर वेट (किलोग्राम)	ग्रॉस वेट (किलोग्राम)	नेट वेट (किलोग्राम)
1	आईओसीएल	12498	15.5	16	0.5

इस प्रकार श्री महेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) एवं 4(क) एवं 5 एवं 7(2) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाते हुए जप्तशुदा एक घरेलू गैस सिलेण्डर मय 0.5 किलो गैस को राजसात् किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई।

अप्रार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध बिल्कुल झूंठा एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थी द्वारा कभी भी घरेलू गैस सिलिण्डर का उपयोग व्यावसायिक रूप में नहीं किया गया है। प्रार्थी अपने घरेलू गैस सिलेण्डर को रिफिल करवाने बाबत् अपनी दुकान पर लाया था

जिला कलक्टर
करौली

जो दुकान के कोने में रखा था तथा किसी व्यावसायिक उपयोग में नहीं लिया जा रहा था। यदि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करता तो दौराने जांच मौके से भट्टी, चूल्हा या बर्नर आदि व नली भी जब्त की जाती। क्योंकि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर से कचौड़ी, समोसा आदि बनाना दर्ज किया है परंतु ये अंकित नहीं है कि वक्त निरीक्षण क्या बनाया जा रहा था तथा भट्टी व कड़ाही में क्या बन रहा था। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध गलत कार्यवाही की गई है। घरेलू गैस सिलेण्डर के अलावा अन्य कोई सामग्री की बरामदगी नहीं की गई है एवं सिलेण्डर भी खाली था। प्रार्थी की दुकान पर मिठाई निर्माण कार्य नहीं होता है बल्कि घर पर होता है और घर से ही बनाकर दुकान पर विक्रय हेतु लाया जाता है। इससे भी स्पष्ट है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मात्र मुकदमा बनाये जाने हेतु ही यह कार्यवाही की गई है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रवर्तन निरीक्षक, हिण्डौन ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि सुरक्षा पखवाड़ा के दौरान दिनांक 11.04.2018 को अप्रार्थी श्री महेन्द्र चतुर्वेदी की चतुर्वेदी मिष्ठान भण्डार से सिलेण्डर को व्यावसायिक उपयोग करते हुए जब्त किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा कभी भी घरेलू गैस सिलिण्डर का उपयोग व्यावसायिक रूप में नहीं किया गया है। प्रार्थी अपने खाली घरेलू गैस सिलेण्डर को रिफिल करवाने बाबत् अपनी दुकान पर लाया था जो दुकान के कोने में रखा था तथा किसी व्यावसायिक उपयोग में नहीं लिया जा रहा था। यदि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करता तो दौराने जांच मौके से भट्टी, चूल्हा या बर्नर आदि व नली भी जब्त की जाती। क्योंकि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर से कचौड़ी, समोसा आदि बनाना दर्ज किया है परंतु ये अंकित नहीं है कि वक्त निरीक्षण क्या बनाया जा रहा था तथा भट्टी व कड़ाही में क्या बन रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डर के अलावा अन्य कोई सामग्री की बरामदगी नहीं की गई है एवं सिलेण्डर भी खाली था। प्रार्थी की दुकान पर मिठाई निर्माण कार्य नहीं होता है बल्कि घर पर होता है और घर से ही बनाकर दुकान पर विक्रय हेतु लाया जाता है। इससे भी स्पष्ट है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मात्र मुकदमा बनाये जाने हेतु ही यह कार्यवाही की गई है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। अप्रार्थी द्वारा सिलेण्डर का दुकान पर मिलना स्वीकृत तथ्य है। सिलेण्डर पूर्ण रूप से खाली नहीं था बल्कि उसमें 0.5 किलो गैस शेष थी जिसको प्रार्थी द्वारा भट्टी से जरिये गैस पाईप लाईन जुड़ा होने पर जब्त किया गया है। अतः अप्रार्थी के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाना प्रतीत होता है। स्वयं अप्रार्थी द्वारा सिलेण्डर की सुपुर्दगी बाबत् आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए घरेलू गैस सिलेण्डर को मय गैस 0.5 किलो राजसात् किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा एक घरेलू गैस सिलेण्डर को मय गैस 0.5 किलो राजसात् किया जाता है। जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सिलेण्डर को

जिला कलक्टर
करौली

संबंधित कम्पनी में जमा करवाकर एवं सिलेण्डर की गैस 0.5 किलो की बाजार दर से बिक्री कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाया जाकर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट मय चालान प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी करौली को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर,
करौली